



उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या : **16/2024/1171/94-स्टा0नि0-2-2024**
लखनऊ : दिनांक : **20 सितम्बर, 2024**

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से **उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, 2023** के पैरा 3.4(2) के उपबन्धों के अनुसार उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ और पूर्वोक्त नीति में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में यथा उल्लिखित सीमा तक नीचे अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित लिखत के सम्बन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 का पैरा	प्रयोजन	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति
1	2	3	4
3.4(2)	विकासकर्ता / कन्सॉर्शियम द्वारा लाइसेन्स जारी करने के पूर्व स्वयं क्रय की गई भूमि को छोड़ते हुये परियोजना हेतु लाइसेन्स जारी होने के पश्चात् अवशिष्ट भूमि के क्रय हेतु।	50 %	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-23 के खण्ड(क) के अधीन हस्तान्तरण की लिखत पर।

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अध्वधीन होगी:-

- उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, 2023 के पैरा 3.12(3) के परन्तुक के अनुसार परियोजना के अधीन भूमि विकास के पश्चात् विक्रीत सम्पत्तियों पर विकासकर्ता/आवंटिती द्वारा नियमानुसार स्टाम्प शुल्क संदेय होगा।
- इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी उपलब्ध होगी जब जिला मजिस्ट्रेट/ सम्बन्धित जिला के मूल विभाग के जिला स्तर के पद से अनिम्न अधिकारी लिखत में पुष्टि करेंगे कि उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, 2023 के अधीन विलेख निष्पादित किया जा रहा है और उक्त प्रयोजन के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर भी करेंगे।
- ऐसे विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में स्टाम्प शुल्क में माँफी के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक गारण्टी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। बैंक गारण्टी की अवधि परियोजना को पूर्ण करने के लिए उपरोक्त नीति में विहित अवधि (10 वर्ष) से अन्यून होगी।

4. पूर्वोक्त नीति के पैरा 3.16(3) में यथा उल्लिखित स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश के नियम और शर्तों के अनुसार स्कीम/परियोजना को रद्द किये जाने के मामले में स्टाम्प शुल्क छूट की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या: 16/2024/1171(1)/94-स्टा0नि0-2-2024, दिनांक: 20 सितम्बर, 2024

हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

संख्या: 16/2024/1171(2)/94-स्टा0नि0-2-2024, दिनांक: 20 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 5- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
- 6- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 द्वारा महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
- 7- समस्त जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), उ0प्र0 द्वारा महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
- 8- विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
- 9- भाषा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

**UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2**

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. **16/2024/1171/94-S.R.-2-2024** dated **20 September, 2024**

NOTIFICATION

Order

No. **16/2024/1171/94-S.R.-2-2024**

Lucknow ; Dated : **20 September, 2024**

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette, is pleased to **remit the stamp duty** chargeable in respect of the instrument mentioned in column-4 of the Schedule below to the extent as mentioned in column-3 of the said Schedule, in accordance with the provisions of paragraph 3.4(2) of the **Uttar Pradesh Township Policy, 2023** for the purpose as specified in column-2 of the said Schedule and for the objectives specified in the aforesaid policy.

SCHEDULE

Paragraph of the Uttar Pradesh Township Policy, 2023	Purpose	Exemption Limit	Nature of Instrument
1	2	3	4
3.4(2)	For purchase of residual land after the issuance of licence for the project, excluding the land purchased by the developer/ consortium itself before the issuance of the licence.	50%	On the instrument of conveyance under clause (a) of Article 23 of Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899, as amended in its application to the State of Uttar Pradesh.

The aforesaid exemption under this notification shall be subject to the following terms and conditions:-

1. As per the proviso of paragraph 3.12 (3) of the Uttar Pradesh Township Policy, 2023, stamp duty will be payable by the developer/allottees as per rules on the properties to be sold after land development under the scheme/project.
2. The exemption under this notification shall be available if the District Magistrate/Officer of the parent Department, not below the designation of district level, of the concerned district shall confirm in the instrument that the

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

deed is being executed under the Uttar Pradesh Township Policy, 2023, and also sign as a witness for the said purpose.

3. Irrevocable bank guarantee of the amount equivalent to the remission of stamp duty in favour of the District Magistrate shall be presented before the registration officer at the time of registration of such deed. The period of the Bank guarantee shall not be less than the period prescribed in the aforesaid Policy (10 years), for completion of the project.
4. As mentioned in paragraph 3.16 (3) of the aforesaid Policy , necessary action will be taken as per the rules and conditions of the Stamp and Registration Department, Uttar Pradesh for the recovery of stamp duty exemption in case of cancellation of the scheme/project.

By order,

Leena Johri

Principal Secretary.

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।